प्रेषक, **ई-मेल/अत्यन्त महत्वपूर्ण/समयबद्ध**

शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उ0प्र0
शिक्षा सामान्य(2)विस्तार अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. कुल सचिव, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
2. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–सामान्य(2)विस्तार/ 25815 /2025–26 दिनांक– 05 फरवरी, 2026

विषय– वेबसाईट https://scholarship.up.gov.in के माध्यम से प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों/सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन प्रविधि से छात्रवृत्ति आवंटन की व्यवस्था हेतु समय सीमा बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो वेबसाईट https://scholarship.up.gov.in के माध्यम से प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों/ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन प्रविधि से छात्रवृत्ति आवंटन की व्यवस्था हेतु समय सीमा बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि निदेशालय के पत्रांक सामान्य(2) विस्तार/7100/2025–26 दिनांक 29.07 2025 द्वारा ऑनलाईन संस्कृत छात्रवृत्ति आवंटन की निर्धारित समय सीमा को बढ़ाए जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया। तत्क्रम में शासन के पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2025 द्वारा प्राप्त निर्देशानुक्रम में निदेशालय के पत्रांक–सामान्य(2)विस्तार/7458/2025–26 दिनांक 01.08.2025 एवं पत्रांक–सामान्य(2) विस्तार/9330–9424/2025–26 दिनांक 29.08.2025, पत्रांक–सामान्य(2)विस्तार/10266–10359/2025–26 दिनांक 15.09.2025, पत्रांक–सामान्य(2)विस्तार/11181–11274/2025–26 दिनांक 25.09.2025, पत्रांक–सामान्य(2)विस्तार/11482/2025–26 दिनांक 30.09.2025, पत्रांक–सामान्य(2)विस्तार/12434–527/2025–26 दिनांक 14.10.2025, पत्रांक–सामान्य(2)विस्तार/17588/2025–26 दिनांक 28.10.2025, पत्रांक–सामान्य(2)विस्तार/19599/2025–26 दिनांक 31.10.2025, पत्रांक–सामान्य(2)विस्तार/20555/2025–26 दिनांक 14.11 2025, पत्रांक–सामान्य(2)विस्तार/21224/2025–26 दिनांक 25.11.2025, पत्रांक–सामान्य(2)विस्तार/22374–22467/2025–26 दिनांक 08.12.2025, पत्रांक–सामान्य(2)विस्तार/23193/2025–26 दिनांक 20.12.2025, पत्रांक–सामान्य(2)विस्तार/23848/2025–26 दिनांक 01.01.2026 एवं पत्रांक–सामान्य(2)विस्तार/24958–25051/2025–26 दिनांक 18.01.2026 द्वारा छात्रवृत्ति आवंटन हेतु समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशानुक्रम में पुनः अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निम्न विवरण के अनुसार समय–सीमा बढ़ाई जाती है:–

क्र.सं.	विवरणी	संशोधित दिनांक
1	छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन और विद्यालय में संलग्नक के साथ आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करना।	05 फरवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक
2	प्रधानाचार्य द्वारा पोर्टल पर आवेदन पत्र का सत्यापन/ अग्रेसण/अपलोड करना।	06 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक
3	सत्यापन के पश्चात शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जमा करना	18 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक तक
4	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन/अग्रेसण/ऑनलाइन सत्यापन।	22 फरवरी 2026 तक
5	जिला समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना।	26 फरवरी 2026 तक
6	साफ्टवेयर के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा छात्रवृत्ति के लिए लाभार्थियों के ऑनलाइन विवरण का सत्यापन/अग्रेसण।	28 फरवरी 2026 तक
7	पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्रों की संवीक्षा।	05 मार्च, 2026 तक
8	मांग का सृजन।	10 मार्च, 2026 तक
9	शिक्षा निदेशालय द्वारा लाभार्थियों के खातों में धन का हस्तान्तरण।	13 मार्च, 2026 से 25 मार्च, 2026 तक

(नोट–छात्र/छात्राओं के आवेदन के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय किश्त की पात्रता को शासनादेश/नियमावली के अनुसार जाँच कर अग्रसारित करने की कार्यवाही करें)

विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि छात्रवृत्ति के संबंध में उपरोक्त उल्लिखित समय–सारिणी का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। समय–सारिणी का विचलन होने पर पात्र एवं अर्ह छात्र/छात्राएँ छात्रवृत्ति से वंचित न हो जायें। यदि समय–सारिणी के अनुरूप किसी भी जनपद से समयान्तर्गत कार्यवाही नहीं की जाती है तो सम्बन्धित जनपद के जनपदीय अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित कर दी जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। प्रकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्बन्धित है, अतएव किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये।

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित चक्रवार प्रक्रिया के आधार पर प्रदेश में संचालित संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों/सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन प्रविधि से छात्रवृत्ति आवंटन की व्यवस्था हेतु समयान्तर्गत कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ0(महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(2)विस्तार/ 25815-27133 /2025-26 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृत शिक्षा अनुभाग-9, लखनऊ।
2- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3- सचिव, उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, जगत नारायण रोड, लखनऊ।
4- श्रीमती शुभा श्रीवास्तव, वरिष्ठ निदेशक(आई0टी0), एन0आई0सी0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार कार्यवाही कराने के साथ ही जनपदों से प्राप्त हो रही तकनीकी समस्याओं का समयान्तर्गत निराकरण कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, जगत नारायण रोड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त समयावधि को माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की वेबसाइट https://madhyamikshiksha.upsdc.gov.in एवं https://upmssp.com पर तत्काल प्रदर्शित कराने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6- निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएँ, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएँ, उ0प्र0 को उपरोक्त समय-सारिणी के अनुरूप समयान्तर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित कर, निरन्तर दूरभाष पर अनुश्रवण करते हुए प्रतिदिन की प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
7- समस्त उप निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएँ, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त प्रबन्धक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, संस्कृत महाविद्यालय/समस्त माध्यमिक विद्यालय, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पात्र/अर्ह छात्र/छात्राओं का आवेदन कराते हुए छात्र/छात्राओं के आवेदन के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय किश्त की पात्रता को शासनादेश/नियमावली के अनुसार जाँच कर अग्रसारित करने की कार्यवाही समयानतर्गत करना सुनिश्चित करें।
9- कार्यालय प्रति।

डॉ0(महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश।

OCC
05/02/2026

Scanned with OKEN Scanner